D

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

क्रमांक प.28( )पराविं / प्र.2 / ग्रासे / कार्यभार / 2018 / 2008 जयपुर दिनांक 4-5-2018

-:: परिपत्र ::-

विभागीय व्यवस्था अनुसार ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त होने पर प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद का कार्यभार उसी ग्राम पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक को दिये जाने की व्यवस्था प्रचलित है। इसी क्रम में विभागीय आदेश क्रमांक 3184 दिनांक 29.07.2015 के द्वारा यह भी निर्देश जारी किये हुए है कि कनिष्ट लिपिक को अधिकतम एक ही ग्राम पंचायत का कार्यभार एक समय पर दिया जा सकता है।

लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद पंचायत समिति / जिला परिषद स्तर पर कनिष्ट लिपिकों को एक से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यभार दिया जाता है जो कि विभागीय दिशा-निर्देशों के विपरीत है। ऐसे उदाहरण भी सामने आये हैं जहाँ विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सहायक जो कि पूर्णतः अस्थाई एवं संविदा पर श्रमिक है को भी ग्राम विकास अधिकारी के पद का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया जबकि नियमों में कोई प्रावधान नहीं है तथा यह कृत्य पूर्णतया अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। ऐसे उदाहरणों के कारण विभागीय कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ता है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद का कार्यभार विभागीय नियमों के अनुरूप ही दिया जावे। इसमें लापरवाही बरतने पर अनुशासनहीनता मानी जावेगी व दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(कुंजी लाल मीणा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-
1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा योजना, जयपुर।
5. मुख्य / अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव